न्यायालय दिलीप कुमार अग्रवाल अपर कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला–धमतरी छ0ग0
(सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005)

अपील प्रकरण कमांक 05 / 2019

श्री सत्यवान यादव गोलबाजार धमतरी
तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी
जिला कार्यालय
धमतरी (छ0ग0) .... अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 4 / 9 / 2019)

अपीलार्थी श्री सत्यवान यादव गोलबाजार धमतरी तहसील व जिला धमतरी (छ0ग0) के द्वारा दिनांक 24.07.2019 को जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय धमतरी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत ईतवारी बाजार स्थित शासकीय अस्पताल की भूमि पर अवैध बल पूर्वक कब्जा की शिकायत दिनांक 06.08.2018, 18.02.2019 एवं 25.04.2019 को शिकायत की गई थी उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापित प्रतिलिपि चाही गई थी। उक्त जानकारी अप्राप्त होने के कारण सूचना के अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत किया है।

जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय धमतरी से जवाब प्राप्त किया गया उनके द्वारा पत्र कमांक 6248 / ज.सू.प्र. / लि. / 2019 धमतरी, दिनांक 19.08. 2019 में लेख किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी शिकायत शाखा से समयावधि के बाद प्राप्त हुआ है। आवेदक को निः शुल्क जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया। जनसूचना अधिकारी एवं जिला कार्यालय धमतरी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परिशीलन किया। आवेदक सत्यवान यादव निवासी गोलबाजार धमतरी द्वारा इतवारी बाजार स्थित शासकीय अस्पताल की भूमि अतिकमण के संबंध में जानकारी चाही गई थी उक्त जानकारी ज्ञापन क. 6464 / जसूप्र / लि / 2019 धमतरी दिनांक 28.08.2019 के द्वारा शिकायत शाखा से समय सीमा के बाद प्राप्त होने के कारण आवेदक को 09 पेज निःशुल्क प्रदान किया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को समय सीमा पर जानकारी

उपलब्ध नहीं करने के कारण भविष्य के लिए सचेत करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाता है।

तद्नुसार आदेश पारित ।

यह आदेश आज दिनांक 4/ 9 /2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया ।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
जिला–धमतरी (छ.ग.)

469
04.09.19

प्रतिलिपिः–

1. जन सूचना अधिकारी जिला कार्यालय धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपीलार्थी श्री सत्यवान यादव गोलबाजार धमतरी तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी जिला धमतरी को अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
जिला–धमतरी (छ.ग.)